

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 82/2012

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
1 खेताराम पुत्र धूलाराम जाति जाट निवासी अटबडा तहसील सोजत		1 पाबूराम पुत्र धुला के का०मु० 1.1 मांगीलाल पुत्र पाबूराम 1.2 हरीराम पुत्र पाबूराम 1.3 शंकरराम उर्फ शंकरलाल पुत्र पाबूराम 1.4 कमला पुत्री पाबूराम जाति जाट निवासीगण अटबडा
		2 ग्राम पंचायत अटबडा जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994
उपस्थित :-

1. श्री सूरजप्रकाश व्यास, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री पी० एम० जोशी, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण

—: निर्णय :-

दिनांक 27/10/2017

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत अटबडा द्वारा मिसल संख्या 29/1957-1958 में पारित प्रस्ताव संख्या ... दिनांक 09.11.1958 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 45 दिनांक 16.11.1958 के विरुद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खेताराम एवं पाबूराम दोनो भाई हैं। जैर निगरानी पट्टे की भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की पुश्तैनी है, जिसमें एक मकान एवं नोहरे का पट्टा बनाया है। जैर निगरानी पट्टे कि मिसल में जो आवेदन पेश हुआ है, वह दोनो भाईयों के नाम पट्टा जारी करने हेतु लिखा है, किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने बच्चों का नाम भी जैर निगरानी पट्टे में लिखवा दिया है, जो विधि विरुद्ध है, जो विधि विरुद्ध है। न्यायालय द्वारा जो मौका कमिश्नर रिपोर्ट तलब की गई है, उसमें मौके पर 1/2 - 1/2 हिस्सा अनुसार कब्जा है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 4 ने इसी अनुसार आधा-आधा हिस्सा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के का०मु० का कब्जा होना स्वीकार किया है। चूंकि पाबूराम पढा लिखा था एवं उसके द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उसमें यह अंकित किया कि उक्त भूमि उनकी पुश्तैनी भूमि है, जिसका पट्टा बनवाना चाहा है तथा पाबूराम ने अपने बयानों में भी पट्टा पाबूराम व खेताराम के नाम बनवाने का निवेदन किया, इसी आधार पर मिसल कायम में कार्यवाही की गई। इसके पश्चात जब पट्टा जारी हुआ, तो उस समय अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने पुत्रों का नाम भी पट्टे में दर्ज करवा

दिया, जो विधि विरुद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रक्रिया का दुरुपयोग करके यह निगरानी प्रस्तुत की है। पक्षकार केवल पाबुराम के उत्तराधिकारियों को ही बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1.2 व 1.3 द्वारा अपने समस्त हक हकूक अप्रार्थी संख्या 1.1 के पक्ष में वर्ष 2008 में ही हकतर्क किये जा चुके हैं। कमिश्नर रिपोर्ट दोनो पक्षों की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई है तथा न ही उक्त रिपोर्ट पर सभी के हस्ताक्षर हैं, जिसके कारण वह प्रकरण पर लागू नहीं होती है। जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, उसे 60 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। जिसे वर्ष 2012 में चुनौती दी गई है। जिस प्रार्थना पत्र में समय सीमा निर्धारित नहीं होती है, परिसीमा अधिनियम के तहत उसकी परिसीमा 3 वर्ष की निर्धारित की गई है। इस प्रकार निगरानी मयाद बाहर प्रस्तुत की है, जो खारिज होने योग्य है। राजस्थान पंचायत न्याय पंचायत नियम 1961 दिनांक 20.03.1961 से लागू किया गया है। इससे पूर्व ऐसे किसी नियम लागू होने बाबत प्रार्थीगण द्वारा कोई कथन नहीं किये गये हैं। इससे यह स्पष्ट नहीं है कि ग्राम पंचायत द्वारा किन नियमों की पालना नहीं की गई ? पंचायत निगरानी में प्रक्रिया की जांच की जानी है, किन्तु प्रार्थी द्वारा अपनी निगरानी याचिका में यह अंकित ही नहीं किया गया कि प्रक्रियात्मक विधि का किस प्रकार उल्लंघन किया गया। इसके अभाव में निगरानी याचिका पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। प्रार्थी द्वारा 1958 के प्रस्ताव को पंचायती राज नियम 1996 के तहत चुनौती दी गई है। वर्ष 1996 के प्रावधान 1958 के प्रस्ताव पर किसी भी रूप में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह 1953 के तहत जारी किया गया है। जिसमें निगरानी के प्रावधान नियम 27 ए में विहित है, जो दिनांक 24.08.1960 को जोड़ा गया था, इससे पूर्व के प्रस्ताव पर यह प्रावधान किसी भी रूप में लागू नहीं होते हैं। धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम के तहत निगरानी क्षेत्राधिकार में मात्र निर्णय की युक्तियुक्तता, विधिकता, नियमितता को ही देखे जाने योग्य होती है, अन्य कोई आधार निगरानी याचिका के तहत पोषणीय नहीं है। पूरी निगरानी याचिका में कौनसे नियम, कौनसी विधि की अवहेलना हुई, ऐसा कोई आधार नहीं बताया है। भूमि पुश्तैनी होने एवं मात्र 2 भाईयों का अधिकार होने संबंधी आधार निगरानी याचिका के तहत श्रवण योग्य नहीं है, बल्कि व्यवहार न्यायालय में अपने अधिकारों को पुष्ट कराकर स्थापित किये जाने योग्य होता है। बिना किसी नियम एवं विधि की अवहेलना बताए, निगरानी याचिका पोषणीय नहीं होती है। अतः निगरानी खारिज करावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में समर्थन में न्यायिक सिद्धान्त आर०एल०आर० 2000 (1) पेज 479, आर०आर०टी० 2017 (1) पेज 73, डी०एन०जे० (राज) 2002 (1) पेज 307, आर०आर०टी० 2017 (1) पेज 310, आर०आर०टी० 2016 (1)पेज 651, आर०आर०टी० 2015 (2) पेज 868, एस०सी०सी० 2015(3) पेज 695, एस०सी०सी० 2007 (II) पेज 363, ए०आई०आर० 1983 (एस.सी.) पेज 1239, ए०आई०आर० 1969 (एस.सी.) पेज 1297, ए०आई०आर० 1994 (एस.सी.) पेज 1128 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के प्रत्युत्तर में कथन किया कि जैर निगरानी आज्ञा एवं पट्टा जिस भूमि का जारी किया गया है, वह भूमि पुश्तैनी है, जिस पर वडेरों के समय से कब्जा है। जिसकी ताईद अप्रार्थी संख्या 1 के प्रार्थना



पत्र से होती है, जो उनके द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त परिसीमा अधिनियम के प्रावधान कपटपूर्वक तैयार किये गये दस्तावेजों पर लागू नहीं होते हैं। जिस दस्तावेज को कपटपूर्वक तैयार किया गया है, उसे किसी भी चुनौती दी जा सकती है, उसके लिये परिसीमा के प्रावधान बाधित नहीं करते हैं। अतः निगरानी स्वीकार करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत अटबडा द्वारा मिसल संख्या 29/1957-1958 में पारित प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 09.11.1958 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 45 दिनांक 16.11.1958 के विरुद्ध पेश की गई है। जैर निगरानी पट्टे की मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 पाबूराम ने सरपंच ग्राम पंचायत अटबडा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पुश्तैनी कब्जासुदा मकान का पट्टा जारी करने का निवेदन किया, जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत अटबडा द्वारा दिनांक 09.09.1958 को पंचायत सदस्यों के जांच नक्शा एवं जांच मौका के अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश की पालना में तीन पंचो द्वारा दिनांक 14.09.1958 मौका जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें विक्रय विलेख की कार्यवाही आरम्भ करने की सिफारिश की है। इसके पश्चात आदेशिका दिनांक 14.09.1958 को पंचायत सदस्यों की रिपोर्ट पेश होने के कारण एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश दिये गये। इस आदेश की पालना में दिनांक 14.09.1958 को आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया तथा ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड एवं मकान पर चस्पा किया गया है। इसके पश्चात मिसल दिनांक 19.10.1958 को पंचायत बैठक में प्रस्तुत हुई। जिस पर निर्धारित अवधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण कब्जे के समर्थन में बयान दर्ज करने के आदेश पारित किये गये। इसके पश्चात दिनांक 02.11.1958 को गवाहों के बयान कलमबद्ध किये जाकर मिसल दिनांक 09.11.1958 को पेश करने के आदेश पारित किये गये। इसमें पाबूराम द्वारा जो बयान कलमबद्ध करवाये गये हैं, उसमें स्वयं पाबूराम ने उक्त भूमि का पट्टा पाबूराम व खेताराम के नाम जारी कराने का निवेदन किया। अन्य गवाह जागाराम पुत्र गणेश जाति गांची, भोलाराम पुत्र रावत जाति गांची, पोकरराम पुत्र शिवलाल जाति नाई, नवला पुत्र लीछमण जाति सिरवी ने अपने बयानों में उक्त भूमि पर पाबूराम का कब्जा होना स्वीकार किया गया है। दिनांक 9.11.1958 को मिसल प्रस्तुत की गई, जिस पर नियम 19 के तहत 50/- राशि तय की जाकर राशि जमा होने पर पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का अवलोकन किया। उक्त न्यायिक सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्ण रूपेण चस्पा होते हैं। जैसा कि प्रार्थी ने अपनी निगरानी याचिका में यह कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पुश्तैनी भूमि का पट्टा जारी करवाने में अपने पुत्रों का नाम विधि विरुद्ध रूप से दर्ज करवाया है। जहां तक मिसल का प्रश्न है, तो प्रार्थना पत्र भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किया है, जिसमें स्वयं के नाम का पट्टा जारी करवाने का अनुतोष चाहा है प्रार्थी का नाम भी मात्र अप्रार्थी के बयानों के आधार पर ही दायर किया है। इसी अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1, 1.2, 1.3 के नाम जारी किया गया है। इसके पश्चात दिनांक 16.11.1958 को राशि जमा होने के कारण विक्रय विलेख जारी किया गया है। जहां तक इस भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के 1/2 - 1/2 हिस्सा होने का प्रश्न है, तो यहां विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि टाईटल सम्बन्धित प्रश्न का विनिश्चय



करने हेतु यह न्यायालय सक्षम नहीं है, इस हेतु पक्षकार को सक्षम न्यायालय के समक्ष ही चाराजोही करनी चाहिये। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा कपटपूर्वक जारी किया गया है, जिसके निगरानी हेतु म्याद बाधित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आर०आर०टी० 2012 (1) पेज 868 में यह व्यवस्था प्रदान की है कि "चाहे कपट भी होना कथित किया हो, अयुक्तियुक्त विलम्ब के बाद शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिये।" परिसीमा अधिनियम 1963 के आर्टिकल 137 के अनुसार जिस प्रार्थना पत्र के लिये समय सीमा निर्धारित नहीं है, वहां 3 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है। आर०एल०आर० 2000 (2) चिमनलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में भी वृहदपीठ द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि "No Period of Limitation provided either u/s 27-A of the Act or u/R272 of the Rules for exercising revisional power—Wather revisional power can be excrcised at any time – Held, when no period of limitation is provied either under Act or Rules then power has to exercised within reasonable time and reasonable time will depend upon facts and circumstances of each case " इस अनुसार युक्तियुक्त समय की संगणना प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों पर निर्भर करना प्रतिपादित किया है। हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र एवं गवाहों के बयानात में कब्जा पुश्तैनी प्रकट किया है तथा अप्रार्थी ने अपने बयानों में पट्टा स्वयं एवं उसके भाई खेताराम के नाम जारी कराने का निवेदन किया, किन्तु जैर निगरानी पट्टा प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 एवं उसके दो पुत्रों के नाम जारी किया गया है, जबकि पंचायत द्वारा जो निर्णय पारित किया गया, उसमें मात्र पाबू के नाम ही पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये थे। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में निर्णय के अनुरूप पट्टा जारी नहीं किया जाकर विधि विरुद्ध रूप से प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 एवं उसके दो पुत्रों के नाम पट्टा जारी किया गया है, जिसे कायम रखना न्यायोचित नहीं है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत अटबडा द्वारा मिसल संख्या 29/1957-1958 में पारित प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 09.11.1958 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 45 दिनांक 16.11.1958 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत अटबडा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत अटबडा का रेकॉर्ड लौटाया जावे।



निर्णय आज दिनांक 27/10/2012 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली